

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013—अग्रहायण 1, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग १

राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. ई. 342-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद, जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री के. सी. गुप्ता (1992) श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार)	कमिश्नर, उज्जैन संभाग उज्जैन.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अरूण कुमार पाण्डे (1992), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर, (अतिरिक्त प्रभार)	-
3.	श्री मुकेश चंद्र गुप्ता (1998) आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.	कलेक्टर, पन्ना	-
4.	श्री संतोष कुमार मिश्रा (1999), कलेक्टर, अशोक नगर.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5.	श्री शोभित जैन (2000), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं संचालक, बजट (अतिरिक्त प्रभार)	कलेक्टर, बड़वानी	-
6.	डॉ. संजय गोयल (2003), संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	कलेक्टर, अशोक नगर	-
7.	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006), कलेक्टर, पन्ना.	आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8.	श्री श्रीमन शुक्ला (2007), कलेक्टर, बड़वानी.	उप सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक बजट का अतिरिक्त प्रभार.	-

(2) ऊपर वर्णित समस्त अधिकारीगण इस आदेश के अनुपालन में संबंधित नवीन पदस्थापना पर आज दिनांक 7 नवम्बर 2013 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को पालन प्रतिवेदन भेजें.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र. ई.1-342-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री एन. बी. एस. राजपूत (आर. आर. 1999) कलेक्टर, मुरैना.	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर.
2.	श्री नागर गोजे मदान विभीषण, (आर. आर. 2007) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर.	कलेक्टर, मुरैना

(2) ऊपर वर्णित अधिकारीगण इस आदेश के अनुपालन में संबंधित नवीन पदस्थापना पर दिनांक 9 नवम्बर 2013 को अपराह्न 4.00 बजे तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को पालन प्रतिवेदन भेजें.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2013

क्र. ई.1-356-2013-5-एक.—श्री श्रीनिवास शर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है. आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऑंटोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-1 (सी)23-2013-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्ययन होंगे :—

अनुसूची

1. समस्त नगरपालिका निगम
2. समस्त नगरपालिका परिषद्
3. समस्त नगर परिषद्
4. समस्त विकास प्राधिकरण एवं समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.
5. समस्त जिला पंचायत
6. समस्त जनपद पंचायत
7. समस्त ग्राम पंचायत
8. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन गठित समस्त मण्डी समिति.
9. समस्त प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिये, विधिक रूप से हकदार हो या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये गये हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2013

क्र. एफ-23-24-2013-3-पच्चीस.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 23-6-2004-5-पच्चीस, दिनांक 22 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा-3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत श्री रामलाल रौतेल (केबिनेट मंत्री दर्जा) अनूपपुर को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था. इसके पश्चात् म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 23-24-2013-3-पच्चीस, दिनांक 26 जुलाई 2013 के द्वारा श्री रामलाल रौतेल के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी थी. श्री रामलाल रौतेल द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को पद त्यागने की सूचना दी है.

(2) अतः राज्य शासन एतद्वारा रामलाल रौतेल, जिला अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद त्यागने की सूचना स्वीकार की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र. एफ-21-255-2011-बी-1-दो.—जिला हरदा के लिये जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों को मनोनीत किये जाने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2013 में क्रम 5 पर अंकित सदस्य श्री सैयद मेहराज अली आत्मज श्री सोहेब अली के नाम में लिपिकीय त्रुटि के सुधार हेतु उनका नाम श्री सैयद हेमराज अली पिता के नाम श्री सोहेब अली के स्थान सैयद अली पढ़े जाने संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2013 निरस्त की जाती है.

(2) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2013 में जिला हरदा के लिये जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में क्रम 5 पर अंकित सदस्य श्री सैयद मेहराज अली के आत्मज के नाम श्री सोहेब अली के स्थान पर स्व. श्री सैयद अली पढ़ा जाये.

(3) तदनुसार जिला हरदा के लिये गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2013 के सरल क्रमांक 05 पर अंकित मनोनीत सदस्य का नाम श्री सैयद मेहराज अली आत्मज स्व. श्री सैयद अली पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

संशोधन

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2013

“आदेश में जहां-जहां “श्री हरिराम गुप्ता” लिखा गया है उसके स्थान पर “श्री सीताराम गुप्ता” तथा पंक्ति 3 एवं 4 में 22-11-2014 के स्थान पर 22-11-2015 पढ़ा जाये”.

फा. क्र. 1 (सी)-21-2009-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो)-2013.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2013 में राज्य शासन निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्र. 674-677-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	मुंगावली	उमरिया	4.900	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म. प्र.).	उमरिया तालाब की स्पिल चेनल एवं एप्रोच चेनल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, मुंगावली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-7556.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	पण्डयाखेड़ी	1.751	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	उज्जैन शहर में एम. आर. 5 मार्ग पर रेल्वे समपार क्रमांक 29-ए उज्जैन, भोपाल रेलखंड कि. मी. 57/38-40 पर आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य के लिये भू-अर्जन विषयक.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. 2361-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कंधवार	0.48	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	रामपुर वितरक नहर की कंधवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. 981-भू-अर्जन-2013.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—लंगुर (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.446 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
207/2/1	0.162
468/2/2	0.016
428/3	0.108
750	0.050
765/1/2	0.080
769/3/2	0.030
योग . .	<u>0.446</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 135990 मी. से 141220 मी. तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. 2357-प्रका.-भू-अर्जन-कार्य-2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—नौडिया
(घ) क्षेत्रफल—0.21 हेक्टर.

ख. नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
444	0.04
445	0.03
451	0.06
452/2	0.02
455/4	0.06
योग . .	<u>0.21</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

निरंक	
महायोग (अ+ब) . .	<u>0.21</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की सजहा माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2359-प्रका.-भू-अर्जन-कार्य-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—झलवार
(घ) क्षेत्रफल—0.30 हेक्टर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
94	0.18
277	0.03
283/973	0.02
305/1305/2	0.04
208	0.01
776/1	0.02
776/2	
776/3	
योग . .	<u>0.30</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

निरंक	
महायोग (अ+ब) . .	<u>0.30</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की झलवार सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजीभूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. 5355-दस-भू-अर्जन-फा. प्र.क्र. 12-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—टेटका, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.580 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
106/9	0.093
103/2	0.177
126/2	0.174
133/1ख	0.405
133/3	1.039
104	0.210
105	0.041
106/2	0.174
126/1	0.174
133/1क	0.229
419/2	1.069
106/3	0.174
123	0.065
126/3	0.174
133/2	1.039
107	0.352
117	0.121
156	0.049
108/1	0.117
109/1	0.121
124/1	0.648
108/2	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
109/2	0.125	360/1	0.100
124/2	0.644	360/2	0.099
134	3.395	360/3	0.099
110	0.227	360/4	0.099
352/2	0.089	361	0.352
111	0.139	368	0.166
112	0.053	363	0.101
118	0.323	364	0.101
357	0.704	365	0.049
359	0.137	369/1	0.070
377	0.243	408	0.073
378	0.061	369/2	0.144
381	0.028	398/2	0.090
382	0.085	370	0.498
383	0.049	395	0.223
113/2	0.192	396	0.154
119	0.745	399	0.069
411/2	0.303	400	0.032
412/4	0.304	407	0.307
120/1	1.405	371/1	0.032
388/389	0.498	371/2	0.041
120/2	0.480	372	0.045
121	0.069	373	0.503
122	0.073	374	0.304
129/1	0.040	375	0.081
125	1.499	376	0.462
689	0.060	379	0.028
127	0.178	380	0.101
413/844	0.202	384	0.227
414	0.987	385/386	1.044
128	0.105	387/1	0.405
129/2	0.116	390/1	0.077
130	0.061	390/2	0.057
131	0.194	391	0.158
132	0.170	392	0.085
133-1/2	0.405	393	0.093
135/1	0.405	394	0.198
135/2	0.045	397/2	0.809
366	0.125	411/3	0.405
358/1	0.120	412/3	0.405
358/2	0.121	418/2ख	0.202
387/2	0.316	397/3	0.202
358/3	0.101	411/5	0.303
358/4	0.355	398/1	0.071
358/5	0.100		

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कनाड़ीकला, प. ह. नं. 34	(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.580 हेक्टर.
		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
		(1)	(2)
409/1	0.100	28	0.061
398/3	0.186	29/2क	0.121
406	0.109	668	0.041
409/2	0.098	669/1	0.089
401	0.061	690/2	0.020
402	0.049	29/3	0.050
403	0.142	400/2	0.081
404	0.053	690/1	0.018
405	0.125	136/1	0.089
411/4	0.303	205/1	0.041
412/2	0.202	208/1	0.028
413/3	0.405	138	0.041
415	0.417	260	0.028
416	0.496	600/2	0.041
417	0.518	192	0.061
425	0.080	313/5	0.060
413/4/क	0.465	204	0.008
413/5	0.405	221/1	0.008
418/2क	0.203	222	0.041
420	0.018	608	0.041
422	0.077	223	0.041
690	0.070	227	0.015
कुल योग . .	<u>36.580</u>	228	0.041
(2) जिसके लिये आवश्यकता है—झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम टेटका की रकबा 36.580 हे. निजी भूमि का अर्जन.		229	0.020
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.		241/1	0.020
		699/1	0.020
		242/2	0.020
		609/2	0.020
		243	0.020
		270	0.061
		275	0.028
		276	0.041
		277/1	0.049
		280	0.008
		281	0.008
		312/1क 1	0.198
		313/2 ख	0.060
		313/9	0.060
		316/5	0.253
		399	0.069

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(1)	(2)	(1)	(2)
405/1	0.081	692	0.041
410	0.198	693	0.028
413/1	0.049	696	0.041
414/1	0.041	697	0.049
417/1	0.041	698	0.020
433	0.020	669/2/1	0.233
434	0.028	968/1	0.338
435	0.020	968/2	0.072
455	0.028	968/3	0.088
437	0.049	968/4	0.168
446/2	0.028	968/5	0.280
460/1	0.020	969/2/2	0.172
460/4	0.060	969/1	0.227
450/1	0.041	970	0.461
451/3क	0.020	971	0.350
460/2	0.020	996	1.500
454/2	0.060	985/4	0.140
457/3	0.401	985/5	0.141
606/1	0.041	986/2	0.150
464/1	0.069	987/6/ज	0.012
464/4	0.060	988	0.950
519/2	0.008	991	1.760
521	0.020	229/2	0.020
522/1	0.008	989/1	0.660
524	0.028	990/1	0.587
529	0.020	1031/1	0.041
534	0.041	990/2	0.590
535	0.028	1031/2	0.041
536/1	0.028	992/1	0.157
537	0.008	994/1	0.049
598	0.020	999/1	0.290
595	0.041	992/2	0.154
597	0.008	994/2	0.044
598	0.041	999/3	0.304
606	0.041	992/4	0.154
611	0.020	994/4	0.045
669/2क	0.008	999/4	0.324
673/2	0.020	993	0.429
670/2	0.008	995/1	0.514
665	0.041	995/2	0.809
700/1	0.041	997	2.067
676/1	0.049	1000	0.709
685/1	0.020	1001//1004/1	0.507
691	0.101	1001/1004/2	0.507

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कनाड़ीखुर्द, प. ह. नं. 30	
1001/1004/3ख	0.507	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.690 हे.	
1001/1004/3क	0.807		
कुल योग . .	21.580	खसरा नम्बर	रकबा
			(हेक्टर में)
(2) जिसके लिये आवश्यकता है—झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम कनाड़ीकला की रकबा 21.580 हे. निजी भूमि का अर्जन.		(1)	(2)
		371/5	0.410
		371/6	0.600
		371/7/क	0.230
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.		371/9/क	0.450
		कुल योग . .	1.690
क्र. 5357-दस-भू-अर्जन-फा. प्र.क्र. 14-अ-82-2013-14.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		(2) जिसके लिये आवश्यकता है—झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम कनाड़ीखुर्द की रकबा 1.690 हे. निजी भूमि का अर्जन.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
		अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

राज भवन, भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2013

क्र. एफ-1-2-13-रा.स.-यू.ए. 1-1515.—महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 9 सन् 1991) की धारा 24 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट एतद्वारा प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नरेन्द्र देव कृषि एवं टेक्नालाजी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद-224229 (उ.प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राज भवन, भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2013

क्र. एफ-1-1-2013-रा.स.-यू.ए.-1-1517.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा डॉ. (श्रीमती) संगीता शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जूलाजी अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र. 7582-2933-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-तृतीय महिला एवं बाल कल्याण विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर शहडोल संभाग	
1	श्री रीतेश दुबे	परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना.

क्र. 7590-2908-अका-विपप्र-2013-संशोधित.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा, नियम-4 में उत्तीर्ण होने का स्तर में दिये नियमानुसार प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी,सी एवं द्वितीय में इन्दौर संभाग के श्री सन्तोष कुमार शौनकिया, राजस्व निरीक्षक को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-189-10-तीन-1272.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन में श्री लखन लाल जाटव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2010 तक, किन्तु 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 15 फरवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 582/स्था.निर्वा./10, दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री लखन लाल जाटव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री लखन लाल जाटव को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 के संलग्न श्री लखन लाल जाटव को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली आयोग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लखन लाल जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-189-10-तीन-1273.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन में सुश्री स्वानबाई बंसल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2010 तक, किन्तु 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 15 फरवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 582/स्था.निर्वा./10, दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सुश्री स्वानबाई बंसल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री स्वानबाई बंसल को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 के संलग्न सुश्री स्वानबाई बंसल को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली आयोग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है, और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री स्वानबाई बंसल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-189-10-तीन-1274.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जनवरी 2010 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन में श्री बंदीलाल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2010 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2010 तक, किन्तु 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 15 फरवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 582/स्था.निर्वा./10, दिनांक 25 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री बंदीलाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बंदीलाल को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 12 मार्च 2010 को जारी किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने पत्र दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा अवगत कराया कि उन्हें उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आयोग द्वारा पुनः दिनांक 18 अप्रैल 2012 को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त 2013 के संलग्न श्री बंदीलाल को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली आयोग को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि कारण बताओ नोटिस की तामीली के बाद अभ्यर्थी के द्वारा कोई व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है, और इनके द्वारा कोई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 अक्टूबर 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बंटीलाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर का पार्श्व या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान
अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन

राज भवन, भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 1-6-2013-रा.स.-यू.ए.-1496.—सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2013) की धारा 55 की उपधारा (2) की कंडिका (एक) सहपठित धारा 13 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानांतर्गत एवं राज्य शासन की अनुशंसा अनुसार मैं, राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची जिला रायसेन (म.प्र.) एतद्वारा प्रो. शशिप्रभा कुमार, प्रोफेसर संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत निर्मित परिनियम के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 18-भू-अभि.-नवी.था.-रा.प्र.-2013-1407.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक-एफ-2-(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर,

पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से :-

(एक) नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

(दो) सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है	सारणी स्थानीय क्षेत्र (ग्राम का नाम)	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)
पुलिस थाना कोतवाली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.).	1. सिंहपुर 2. सिंहपुर स्टेशन पडरी. 3. भानपुर 4. ऐंताझर 5. मिठौरी 6. दुलहरा 7. हर्दी छोट 8. जोधपुर 9. बोडूरी 10. सिंगुड़ी 11. पड़मनिया कला 12. पड़मनिया खुर्द 13. उधिया 14. करूआताल 15. निपनिया मड़वापारा 16. मझौली 17. कठौतिया खुर्द 18. कठौतिया कला 19. पतखई 20. खम्हरिया कला 21. उरईहा 22. दूधी	पुलिस थाना सिंहपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.).

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	23. नरगी			16. मैकी	
	24. सामतपुर			17. भरीं सेंदुरी	
	25. सेमरिहा			18. रोहनिया	
	26. हर्राटोला			19. कुदरी	
	27. केलमनियां			20. पोगरी	
	28. चटहा			21. ककरहाई	
	29. पठरा			22. कुशमहाई	
	30. भमरहा			23. जरहा	
	31. बमुरा			24. जरवाही	
	32. बमुरी			25. सेमरिहा	
	33. अमरहा			26. बड़खेड़ा	
	34. मड़वा			27. श्यामडीह कला	
	35. भोंदलकछार वीरान			28. श्यामडीह खुर्द	
	36. दुबहा			29. खेतौली	
	37. केरहा			30. देवगावां	
	38. बाऊ			31. नदना	
	39. कोदवार कला			32. चांपा	
	40. कोदवार खुर्द			33. बरहाई	
	41. अमहाटोला				
	42. गुडकुल				
	43. हरीं				
	44. बगदहा वीरान				
	45. चंदनिया कला				
	46. चंदनिया खुर्द				
	47. बेलहा				
	48. पड़रिया				

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. 881-सामान्य एक-2013.—क्रमांक एफ-59-01-04, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रम-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, वर्ष 2013 के लिये कलेक्टर शाजापुर के आदेश क्र. सामान्य-एक-2013-7-8, दिनांक 4 जनवरी 2013 द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 4 नवम्बर 2013 को निरस्त करते हुए दिनांक 9 दिसम्बर 2013 को निर्धारित संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती के दिन सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

1. सोहागपुर	पुलिस थाना
2. बलपुरवा	सोहागपुर, तहसील
3. बाणगंगा	सोहागपुर,
4. पिपरिया	जिला शहडोल
5. नवलपुर	(म.प्र.).
6. हरदी	
7. धुरवार	
8. जमुई	
9. जमुआ	
10. छतवई	
11. कोटमा	
12. निपनिया	
13. बरूका	
14. पटासी	
15. मैका	

अ.क्र.	नाम त्यौहार	दिनांक	वार	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती.	9-12-2013	सोमवार	सम्पूर्ण जिला.

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-विदिशा मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 30 अक्टूबर 2013/5 नवम्बर 2013

क्र. क्यू-एससी-2013-19107.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 10 अक्टूबर 2013 तथा निगोशिअबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 के अन्तर्गत सोमवार 14 अक्टूबर 2013 विजयादशमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 163-164 दिनांक 2 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2013 (विजयादशमी के दूसरा दिन) का घोषित स्थानीय अवकाश अधिक्रमिक करते हुए मध्यप्रदेश

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर जिला विदिशा दिनांक 26 नवम्बर 2013 को मतदान दिवस के दूसरे दिन सम्पूर्ण जिले में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

उक्त अवकाश निर्वाचन में लगे कर्मचारियों एवं बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-2013-14-487.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु ओलम एग्रो इन्डिया, लि. बड़वानी शुगर, तहसील-ठीकरी जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिये नीचे दशायि केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बड़वानी/ठीकरी	ठीकरी	33	1131.35
2	बड़वानी/अन्जड़	अन्जड़	24	653.61
3	बड़वानी/बड़वानी	बड़वानी	20	261.81
4	बड़वानी/राजपुर	राजपुर	6	1.34
5	बड़वानी/सेधवा	सेधवा	5	6.01
6	खरगोन/खरगोन	खरगोन	1	3.05
7	खरगोन/कसरावद	कसरावद	22	463.49
8	खरगोन/सेगावां	सेगावां	4	0.61
9	धार/धरमपुरी	धरमपुरी	48	1016.54
10	धार/मनावर	मनावर	55	887.29
11	धार/कुक्षी	कुक्षी	24	307.73
योग . .			242	4733.03

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

एग्रो इंडिया लि., बड़वानी यूनिट शुगर ठीकरी तहसील—ठीकरी (जिला बड़वानी) गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14				तहसील—अन्जड़ (जिला बड़वानी)			
क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर	क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुआं	3	161.12	1	गोलाटा	28	9.03
2	केरवा	2	9.03	2	चकेरी	27	16.83
3	कपाल्याखेड़ी	3	27.15	3	बावड़िया	17	24.35
4	घटवा	1	48.89	4	फत्यापुर	19	6.35
5	अभाली	2	42.20	5	किरमोही	19	20.19
6	भगवानपुरा	2	40.16	6	अंजड़	29	69.68
7	जरवाह	2	75.05	7	मोहीपुरा	24	74.01
8	उमरदा	2	36.41	8	दतवाड़ा	28	65.24
9	हतोला	13	2.35	9	छोटा बड़दा	31	113.48
10	सेगवाल	2	89.40	10	आवली	33	64.25
11	ठीकरी	4	113.49	11	पिपल्याडेब	17	6.88
12	रणगांव	5	14.62	12	लोहारा	16	31.38
13	खुरमपुरा	5	4.85	13	केसरपुरा	22	32.09
14	मदरान्या	9	4.86	14	नलवाय	13	22.58
15	रेहड़कोट	11	0.23	15	तलवाड़ाडेब	14	55.05
16	कुंडिया	2	0.25	16	पान्या	22	1.91
17	बांदरकच्छ	13	0.26	17	रणगांवडेब	29	1.06
18	ब्राम्हणगांव	6	87.63	18	उचावद	17	6.05
19	लखनगांव	9	5.66	19	पिछोला	19	0.24
20	अजंदी	5	2.70	20	बिलवाडेब	18	0.20
21	रसवाडेब	10	0.33	21	छापरी	17	0.30
22	मारुचिचली	13	65.75	22	हरीबड़	13	0.25
23	चेनपुरा	11	45.91	23	मंडवाड़ा	22	23.40
24	गवला	11	36.26	24	मेहगांव डेब	11	8.81
25	देवला	6	8.12	योग . . 653.61			
26	ननगांव	5	21.80	तहसील-बड़वानी (जिला बड़वानी)			
27	दवाना	5	44.10	1	बड़वानी	48	40.94
28	विश्वनाथखेड़ा	8	58.16	2	तलून	40	11.93
29	कालापानी	6	0.25	3	बोरलाय	35	0.31
30	बलगांव	5	3.50	4	धनोरा	36	4.07
31	टिटगारिया	7	44.81	5	पिपरी	35	5.19
32	दाबड़	5	35.81	6	पिपलाज	42	42.72
33	कुंदामाल	4	0.24	7	कुंडिया	42	41.53
योग . . 1131.35				8	छोटीकसरावद	43	8.75
				9	पिपलुद	36	41.29

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
10	उटावद	38	6.59	6	कठोरा	7	40.62
11	सेगावां	45	17.27	7	घाटबेड़िया	7	0.20
12	करी	42	1.49	8	पथोरा	16	0.20
13	लोनसरा	37	0.33	9	बलगांव	16	23.46
14	कल्याणपुरा	52	0.22	10	बलखड़	14	0.22
15	खेडी	34	6.32	11	अहिर धामनोद	9	0.18
16	रेहगुन	40	0.19	12	खलटाका	10	45.77
17	बगूद	40	29.56	13	खलबुजुर्गा	10	6.53
18	एकलरा	48	2.70	14	मलतार	12	3.30
19	सौंदूल	49	0.18	15	मालपुरा	5	0.35
20.	जागरवा	50	0.23	16	जलखा	17	0.22

योग . . 261.81

तहसील—राजपुर (जिला बड़वानी)

1	ओझर	32	0.19
2	रणगांवरोड़	29	0.18
3	नागलवाड़ी	33	0.35
4	आगलगांव	24	0.20
5	सनगांव	17	0.20
6	सिनगुन	17	0.22

योग . . 1.34

तहसील—सेंधवा (जिला बड़वानी)

1	पिसनावल	45	4.88
2	वरला	72	0.18
3	बलवाड़ी	69	0.26
4	दुगाणी	68	0.35
5	खारिया	65	0.34

योग . . 6.01

तहसील—कसरावद (जिला खरगोन)

1	निमरानी	10	18.48
2	हतोला	13	0.25
3	जरोली	5	21.31
4	चिचली	6	109.11
5	भोईन्दा	5	186.57

17	अकबरपुर	17	3.43
18	रेगवां	16	0.23
19	सत्राटी	6	0.67
20	पानवा	15	1.99
21	नगावां	8	0.21
22	मगरखेड़ी	8	0.19

योग . . 463.49

तहसील—खरगोन (जिला खरगोन)

1	बगवां	16	3.05
---	-------	----	------

योग . . 3.05

तहसील—सेगावां (जिला खरगोन)

1	गोलवाड़ी	31	0.18
2	भिकारखेड़ी	26	0.20
3	रसगांव	20	0.23
4	सेगावां	24	0.20

योग . . 0.81

तहसील—धरमपुरी (जिला धार)

1	खलघाट	15	127.20
2	सुन्देल	15	161.25
3	बगड़ीपुरा	13	45.44

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
4	सुलगांव	10	28.05	37	बालीपुर	15	1.83
5	हतनावर	9	107.30	38	बयड़ीपुरा	16	1.11
6	बगाड़ी	12	18.93	39	कालीबावड़ी	16	2.92
7	खतड़गांव	16	66.77	40	मुण्डला	14	12.48
8	पेड़वी	12	21.34	41	प्रतापपुर	18	0.94
9	खुजावा	10	23.03	42	गुलाटी	10	0.70
10	धामनोद	20	44.89	43	मोद कानापुर	12	3.88
11	पिपल्दागढ़ी	11	47.90	44	भाटपुरा	17	0.61
12	निमोला	11	42.57	45	डोंगरगांव	14	0.88
13	मोरगढ़ी	16	60.76	46	मेहगांव	18	0.67
14	साला	13	42.00	47	गुजरी	23	1.24
15	लुन्हेरा	12	23.66	48	पन्धान्या	18	0.83
16	धरमपुरी	10	23.85				
17	बेगंदा	20	23.09				योग . . 1016.54
18	भोगावां	10	0.26				
19	पटलावद	17	10.14	तहसील—मनावर (जिला धार)			
20	बलवाड़ा	17	2.05	1	देवगढ़	33	2.48
21	धेगदा	11	15.42	2	कवठी	35	15.21
22	पगारा	14	0.24	3	साततलाई	39	3.29
23	पलासिया	21	0.27	4	शरिफपुरा	25	17.06
24	रामपुर	12	0.23	5	मलनगांव	21	22.00
25	फत्यापुर	11	14.44	6	बड़ा बड़दा	24	32.06
26	देगावां	12	2.75	7	रतवा	20	7.43
27	खारपुरा	12	9.65	8	उरदना	27	22.26
28	डोगरी	13	0.75	9	जोतपुर	26	14.78
29	डहीवर	24	0.25	10	पिपलाज	35	6.14
30	एकलरा	10	0.30	11	मिर्जापुर	21	15.26
31	छोटीनिमरानी	13	0.19	12	देवलरा	13	47.15
32	चंदावड़	14	16.47	13	कोठड़ा	13	89.15
33	बिखरोन	15	0.18	14	टवलई	13	7.51
34	गुलझरा	20	3.49	15	सेमल्दा	29	98.35
35	पुनर्वास	13	0.20	16	अछोदा	31	71.82
36	अहीरवास	15	3.14	17	गोगावां	11	15.39

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
18	सिरसाला	30	11.89	51	सरसगाँव	15	8.76
19	डोंगरगाँव	40	4.66	52	अजंदीकोट	37	2.52
20	करोली	29	72.76	53	जाजमखेड़ी	39	0.21
21	बड़गाँवखेड़ी	29	1.78	54	मनावर	46	0.33
22	मांडवी	41	1.58	55	टोकी	46	0.84
23	पटवार	19	8.15				योग . . 887.29
24	छोटी टवलई	13	34.19				
25	बालीपुर	11	1.56				
26	अजंदा	24	17.99				
27	कुवाली	23	0.24				
28	जलखेड़ा	22	28.82				
29	एकलवारा	33	84.33				
30	पेरखड़	33	15.07				
31	वायल	27	4.63				
32	ठनगाँव	16	0.25				
33	डेडगाँव	14	2.96				
34	बाकानेर	21	1.37				
35	जेतापुर	20	0.25				
36	कुंडियापुरा	18	0.94				
37	राजपुरा	19	25.19				
38	झिरवी	19	6.11				
39	सिरसी	34	8.12				
40	अजंदीमान	23	0.75				
41	गांगली	49	6.50				
42	पिपरीमान	25	7.46				
43	गोपालपुरा	24	1.04				
44	बीजाबेड़ी	29	0.30				
45	भरड़पुर	44	0.20				
46	पिपली	42	0.23				
47	अमलाथा	16	19.08				
48	लोहनेर	43	2.30				
49	कलवानी	47	16.34				
50	जयेड़ी	48	0.25				
							योग . . 307.73

तहसील—कुक्षी (जिला धार)

1	चिखल्दा	50	68.12
2	गेहलगाँव	54	14.07
3	मलवाड़ा	42	33.09
4	कड़माल	49	5.44
5	खापरखेड़ा	53	0.25
6	बाजरीखेड़ा	54	3.48
7	नर्मदानगर	48	98.51
8	निसरपुर	53	33.01
9	कोटेश्वर	49	0.26
10	कोणदा	59	0.30
11	दोगावां	60	0.30
12	कुआं (धरमराय)	68	0.20
13	भवरिया	59	8.95
14	पिपल्या	49	5.25
15	पूरा	47	0.27
16	दोंद	48	0.21
17	कोठड़ा	55	15.92
18	बोधवाड़ा	42	11.32
19	लिंगवा	45	1.06
20	बेडबालिया	47	0.17
21	सुसारी	58	0.94
22	गणपुर	45	2.96
23	करोँदिया	53	0.15
24	नवादपुरा	57	3.50

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2013-14-489.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि., सोहागपुर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश के लिए नीचे दशाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बैतूल/बैतूल	फैक्ट्री गेट	54	3559.515
2	बैतूल/चिचोली	-''-	9	236.647
3	बैतूल/आमला	-''-	36	2467.647
			योग . .	6263.803

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा,
गन्ना, आयुक्त.

श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि., सोहागपुर, जिला बैतूल (म. प्र.)

तहसील बैतूल का ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14

क्र.	गांव का विवरण	कृषक संख्या	पौधा	खोड़वा	कुल योग (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आरूल	20	25.304	41.296	66.600
2	सोहागपुर	75	36.235	73.685	159.920
3	मिलानपुर	32	34.009	35.830	69.839
4	सांपना	4	3.644	5.264	8.908
5	जावरा	33	23.482	23.280	46.762
6	रतनपुर	23	12.144	18.017	30.161
7	बुंडाला	16	17.314	17.314	34.628
8	बाजपुर	44	41.903	33.604	75.507
9	काजीजामठी	12	10.729	17.207	27.936
10	बागदा	16	11.741	10.433	31.174
11	बरसाली	24	25.304	33.199	58.503
12	लाखापुर	32	16.302	14.575	30.877
13	कन्नड़गांव	14	5.770	7.895	13.665
14	बधवाड़	29	23.482	27.531	51.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	बडोरा	119	127.936	134.211	262.147
16	दनोरा	59	44.737	69.029	113.766
17	भडूस	44	28.948	43.523	72.471
18	कोसमी	20	10.932	28.745	39.677
19	टेमनी	17	10.527	18.219	28.746
20	महदगांव	57	24.292	36.235	60.527
21	सेंढा	23	12.551	16.600	29.151
22	खेड़ीसांवलीगढ़	25	12.754	12.349	25.103
23	नयेगांव	8	8.300	9.515	17.815
24	मालीतेड़ा/भवानीतेड़ा	15	6.681	7.895	14.576
25	मलकापुर	129	97.774	203.644	301.418
26	भैसदही	48	40.486	79.353	119.839
27	खेड़ली	50	40.284	118.219	158.503
28	रावणवाड़ी	27	23.230	21.660	44.890
29	राठीपुर	32	17.612	21.256	38.868
30	खंडारा (किला)	85	76.519	106.478	182.997
31	हमलापुर	29	22.065	17.207	39.272
32	उमरी जागीर	36	20.648	37.855	58.503
33	केलापुर	20	12.146	20.041	32.187
34	कुम्हारटेक	30	11.944	10.932	22.876
35	टिकारी	29	36.639	48.179	84.818
36	बैतूल	10	29.353	7.288	36.641
37	बैतूल बाजार	318	339.677	462.349	802.026
38	जोड़क्या	8	8.097	9.717	17.814
39	लोहारिया	6	9.515	11.314	20.649
40	जुनावानी	9	2.040	6.276	8.316
41	बघोली	19	7.693	16.165	23.858
42	सेलगांव	8	1.822	5.466	7.288
43	परसोड़ी	7	1.822	6.276	8.098
44	बयावाड़ी	11	5.871	12.956	18.827
45	छाती	9	3.442	2.632	6.074
46	चारवन	8	3.644	3.239	6.883
47	जगधर	8	3.644	4.656	8.300
48	बारव्ही	20	7.085	8.705	15.790
49	सेहरा	21	22.470	9.515	31.985
50	अमदर	11	9.515	7.490	17.005
51	भरकावाड़ी	29	28.745	28.341	57.086
52	गोराखार	2	4.859	0.405	5.264
53	कोलगांव	5	1.620	4.048	5.668
54	सूरगांव	5	4.048	4.252	8.300
योग . .		1790	1519.330	2040.185	3559.515

ब्लाक-चिचोली

क्र.	गांव का विवरण	कृषक संख्या	पौधा	खोड़वा	कुल योग (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चिचोली	10	14.980	7.693	22.673
2	जोड़ी ढाना	13	5.263	5.059	10.322
3	जोगली	43	38.462	25.102	63.564
4	मिरजापुर	7	6.478	6.883	13.361
5	नसीराबाद	15	10.527	2.835	13.362
6	बोरी	15	12.146	2.835	14.981
7	गोंडुमंडई	40	27.936	31.175	59.111
8	निवाड़ी (निवारी)	14	10.932	11.741	22.673
9	मलाजपुर	14	8.097	8.503	16.600
योग . .		171	134.821	101.826	236.647

ब्लाक-आमला

क्र.	गांव का विवरण	कृषक संख्या	पौधा	खोड़वा	कुल योग (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नरेरा	114	77.936	63.563	141.499
2	बेहड़ीकला	25	17.004	13.766	30.770
3	जमदेयी कला	37	26.316	28.341	54.657
4	जमदेयी खुर्द	35	18.624	19.230	37.854
5	कुटखेड़ी	26	13.361	14.171	27.532
6	सेमरिया	51	40.080	43.320	83.400
7	ढोढावानी	44	53.847	48.583	102.430
8	महुली	43	52.430	45.547	97.977
9	जम्बाड़ा	35	21.863	18.219	40.082
10	जम्बाड़ी	99	34.008	27.531	61.539
11	कोडरखापा	66	57.895	55.466	113.361
12	खरपड़ाखेड़ी	40	28.745	32.389	61.134
13	उमरिया	37	42.915	42.511	85.426
14	चुटकी	38	36.438	34.413	70.851
15	देवपिपरिया	54	65.992	57.490	123.482
16	पिपरिया	22	16.802	14.575	31.377
17	बेडड़ी खुर्द	38	19.839	13.766	33.605
18	कन्नोजिया	93	57.489	54.252	111.741
19	देवगांव	61	41.701	48.179	89.880

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	आवरिया	36	23.280	20.851	44.131
21	बोचनवाड़ी	29	16.600	13.361	29.961
22	खिड़की खुर्द	17	9.110	12.349	21.459
23	परसोड़ी	98	37.247	40.689	77.936
24	बोरी	72	44.130	44.535	88.665
25	अंधारिया	54	22.673	12.146	34.819
26	नांदीखेड़ा	30	25.102	21.052	46.154
27	लालावाड़ी	158	73.685	72.875	146.560
28	तिरमहु	48	20.851	13.158	34.009
29	रतेड़ा	53	30.162	22.673	52.835
30	तोरणवाड़ा	101	66.093	46.762	112.855
31	छावल	69	40.080	32.592	72.672
32	खापा	78	25.608	27.328	52.936
33	टूटमूर	57	46.357	34.818	81.175
34	बोड़खी	25	14.373	10.324	24.697
35	आमला	58	52.632	44.940	97.572
36	देवढान	55	34.413	16.195	50.608
योग . .		1996	1305.681	1161.960	2467.641

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-2013-14-491.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	24	845.1
2	बुरहानपुर	शाहपुर	16	100.7
3	बुरहानपुर	दर्यापुर	36	1141.4
4	बुरहानपुर	खकनार	29	948.4
5	बुरहानपुर	तुकईथड	29	671.5
6	बुरहानपुर	हैदरपुर	33	2023.7
7	खण्डवा	पन्धाना	19	184.7
8	खण्डवा	खण्डवा	21	62.80
9	खण्डवा	पुनासा	08	46.2
10	खण्डवा	छनेरा	08	22.4
योग :			223	6046.9

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा,
गन्ना, आयुक्त.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
नवलनगर 450223, जिला बुरहानपुर (म. प्र.)

रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

क्र.	गट का नाम	सेंटर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टेयर में)			
				रोपा	जडी (दूरी)	तिरी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	बुरहानपुर	बुरहानपुर					
1			बोरगांव खुर्द	71.600	37.000	10.000	118.600
2			बाडाबुजुर्ग	4.800	5.800	1.000	11.600
3			चिंचाला	5.800	5.200	1.000	12.000
4			ऐमागिर्द	5.600	4.000	1.000	10.600
5			फतेहपुर	34.100	17.000	8.600	59.700
6			लालबाग	2.500	0.300	0.000	2.800
7			रहीपुरा (बुरहानपुर)	7.400	3.000	1.000	11.400
			योग : बुरहानपुर	131.800	72.300	22.600	226.700
		बहादरपुर					
8			बहादरपुर	2.800	0.000	0.000	2.800
9			बिरोदा	1.200	1.600	0.000	2.800
10			बोहरडा	1.100	1.800	0.000	2.900
11			हतनूर	0.800	1.800	0.000	2.600
12			लोणी	0.000	0.000	0.700	0.700
13			मोहम्मदपुरा	4.800	2.300	0.000	7.100
			योग : बहादरपुर	10.700	7.500	0.700	18.900
		निम्बोला-अ					
14			बसाड़	19.700	8.900	0.900	29.500
15			मगरूल	67.000	40.900	10.000	117.900
16			मचलपुरा	11.000	4.400	1.000	16.400
17			निम्बोला	21.600	15.600	2.000	39.200
18			रहीपुरा (निम्बोला)	10.700	6.800	3.000	20.500
			योग : निम्बोला-अ	130.000	76.600	16.900	223.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		निम्बोला-ब					
19		बोरी खुर्द		20.700	16.200	3.400	40.300
20		चुलखान		74.500	38.400	15.500	128.400
21		नसीराबाद		62.200	40.500	22.000	124.700
22		निम्ना		14.000	6.800	0.000	20.800
23		झीरी		20.000	6.900	6.300	33.200
24		झांझर		15.000	6.900	6.700	28.600
		योग : निम्बोला-ब		206.400	115.700	53.900	376.000
		योग : बुरहानपुर		478.900	272.100	94.100	845.100
	शाहपुर	शाहपुर					
25		बम्भाडा		0.000	1.600	0.000	1.600
26		बक्खारी		0.800	0.800	0.000	1.600
27		बादखेड़ा (नाचनखेड़ा)		5.100	5.000	2.000	12.100
28		खामनी		0.800	1.600	0.000	2.400
29		नाचनखेड़ा		0.800	0.800	0.000	1.600
30		शाहपुर		5.200	5.100	0.000	10.300
31		सिरसोदा		3.000	5.000	0.000	8.000
32		नेर		3.500	5.000	0.000	8.500
		योग : शाहपुर		19.200	24.900	2.000	46.100
		फोपनार					
33		फोपनार		6.000	1.200	0.000	7.200
34		संग्रामपुर		5.000	0.000	0.000	5.000
35		तुरकगुराड़ा		4.800	0.000	0.000	4.800
		योग : फोपनार		15.800	1.200	0.000	17.000
		चापोरा					
36		अडगाँव		1.800	1.500	0.000	3.300
37		भोटा		4.600	2.000	0.000	6.600
38		धामनगाँव		0.900	0.900	1.000	2.800
39		इच्छापुर		10.600	5.800	0.900	17.300
40		वारोली		4.600	3.000	0.000	7.600
		योग : चापोरा		22.500	13.200	1.900	37.600
		योग : शाहपुर		57.500	39.300	3.900	100.700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	दर्यापुर	दर्यापुर					
41			बड़गांव (गुल्ई)	12.800	2.000	2.500	17.300
42			दर्यापुर	59.100	31.500	0.900	91.500
43			जैनाबाद	89.200	66.200	20.000	175.400
44			खडकोद	10.000	5.000	3.000	18.000
45			टिटगांवखुर्द	10.000	4.600	1.000	15.600
			योग : दर्यापुर	181.100	109.300	27.400	317.800
			बोदरली				
46			अंजनबर्डी	1.700	0.500	0.000	2.200
47			बडझीरी	13.700	0.200	0.600	14.500
48			डोंगरगांव (बोदरली)	1.000	0.000	0.000	1.000
49			देव्हारी	0.500	0.000	0.000	0.500
50			जसोंदी	0.500	0.000	0.000	0.500
51			पिपलगांव	4.500	0.500	0.000	5.000
52			तारापाटी	1.600	0.000	0.000	1.600
			योग : बोदरली	23.500	1.200	0.600	25.300
			सारोला				
53			एकलारा	10.200	4.200	3.900	18.300
54			हनुमंतखेड़ा	20.200	7.200	0.500	27.900
55			सारोला	70.100	41.700	20.900	132.700
56			टिटगांवकला	34.100	20.300	3.300	57.700
57			उमरदा	34.000	22.600	2.800	59.400
			योग : सारोला	168.600	96.000	31.400	296.000
			अम्बाडा				
58			अम्बाडा	14.100	6.900	5.000	26.000
59			बाडाजैनाबाद	10.200	2.000	1.000	13.200
60			भानमोड़िया	5.000	0.000	0.000	5.000
61			देवरी	24.900	11.000	0.000	35.900
62			हिंगना	22.300	15.700	0.500	38.500
63			नेवरी	20.100	13.400	3.200	36.700
64			लिंगा	5.000	0.000	0.000	5.000
65			सांडसकला	24.300	0.700	0.000	25.000
66			शंकरपुरा	5.000	0.000	0.000	5.000
67			सांडसखुर्द	20.000	11.700	5.000	36.700
			योग : अम्बाडा	150.900	61.400	14.700	227.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		सिरपुर					
68			हसीनाबाद	5.000	4.000	0.000	9.000
69			खैरखेड़ा	7.300	0.200	1.500	9.000
70			निम्बापुर	20.600	8.600	3.300	32.500
71			नांदखेड़ा	10.000	3.200	0.800	14.000
72			सिरपुर	15.300	4.000	1.500	20.800
			योग : सिरपुर	58.200	20.000	7.100	85.300
		सिंधखेड़ा					
73			गुलई	1.400	2.000	0.000	3.400
74			महलगुराड़ा	47.000	20.000	3.000	70.000
75			सिंधखेड़ा	75.000	29.200	1.000	105.200
76			हनुमंतखेड़ा-अ	9.700	1.000	0.700	11.400
			योग : सिंधखेड़ा	133.100	52.200	4.700	190.000
			योग : दर्यापुर	715.400	340.100	85.900	1141.400
	खकनार	खकनार					
77			बोरखेड़ा	8.300	0.900	0.000	9.200
78			भैराघाट	5.600	1.600	0.000	7.200
79			धाबा	43.200	25.000	1.800	70.000
80			जामन्या	52.300	10.300	0.300	62.900
81			खकनार	47.100	10.000	0.500	57.600
82			खकनार खुर्द	12.300	5.000	0.500	17.800
83			पांगरी	11.900	5.000	0.000	16900
			योग : खकनार	180.700	57.800	3.100	241.600
		डोईफोडीया					
84			बसाली	20.100	9.200	0.700	30.000
85			डोईफोडिया	12.700	6.100	1.000	19.800
86			कारखेड़ा	17.700	7.200	0.300	25.200
87			नायर	0.600	0.600	0.000	1.200
88			नांदुरा खुर्द	1.000	1.000	0.000	2.000
89			नांदुरा कला	3.500	0.700	0.000	4.200
90			नागझिरी	2.200	1.200	0.000	3.400
91			साईखेड़ा (डोईफोडीया)	10.000	3.000	0.000	13.000
92			सामरया	2.900	0.900	0.000	3.800
93			ताजनापुर	10.400	2.000	0.400	12.800
			योग : डोईफोडीया	81.100	31.900	2.400	115.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		मांजरोद					
94			बिजोरी	25.600	15.300	12.900	53.800
95			दसघाट	14.900	8.200	10.600	33.700
96			कानापुर	27.500	16.600	1.000	45.100
97			मांजरोद कला	79.700	49.100	18.000	146.800
98			मांजरोद खुर्द	32.400	22.400	3.700	58.500
99			टेंभी	12.200	7.200	0.000	19.400
			योग : मांजरोद	192.300	118.800	46.200	357.300
		शेखापुर					
100			खड़की	7.600	2.000	0.700	10.300
101			मोहनगढ़	12.900	4.000	0.500	17.400
102			निमंदड़	7.900	5.000	0.800	13.700
103			रघई	48.700	25.000	0.700	74.400
104			सावली	30.000	17.300	0.500	47.800
105			शेखापुर	41.900	28.000	0.600	70.500
			योग : शेखापुर	149.000	81.300	3.800	234.100
			योग : खकनार	603.100	289.800	55.500	948.400
	तुकईथड़	तुकईथड़					
106			चिड़ियामाल	14.800	2.700	2.000	19.500
107			खोदरी	15.900	11.900	5.000	32.800
108			मोन्द्रा	17.500	11.800	8.000	37.300
109			मेलचुका	12.200	10.200	4.000	26.400
110			पीपलपानी	23.900	17.100	5.000	46.000
111			रामतलाई	6.000	5.000	2.000	13.000
112			रामधड़	7.600	3.400	0.000	11.000
113			तुकईथड़	37.000	25.200	16.500	78.700
114			झिरमिटी	4.200	1.500	0.500	6.200
115			पांढरी	7.600	4.600	0.300	12.500
			योग : तुकईथड़	146.700	93.400	43.300	283.400
		देडतलाई					
116			बालापट	5.000	2.700	1.000	8.700
117			पीपरी बोरबन	12.300	10.300	3.800	26.400
118			देडतलाई	5.300	2.200	0.500	8.000
119			धार (बेलथड)	41.600	29.300	24.000	94.900
120			सागमली	16.800	13.800	14.000	44.600
121			सातोड	2.400	1.400	0.000	3.800
122			चौखंडा	7.900	4.900	2.000	14.800
			योग : देडतलाई	91.300	64.600	45.300	201.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		शेखपुरा					
123			दाहिन्दा	21.600	10.600	6.000	38.200
124			दैव्यत	25.800	19.400	3.000	48.200
125			डबाली	2.300	1.300	0.000	3.600
126			ढाकना	2.000	1.300	0.000	3.300
127			परेठा	6.900	4.700	2.000	13.600
128			रायपुर	2.600	1.600	0.000	4.200
129			रामाखेडा	1.800	0.800	0.000	2.600
130			साजनी	22.700	12.900	3.000	38.600
131			सेंधवाल	8.400	4.400	1.000	13.800
132			शेखपुरा	8.600	5.600	0.000	14.200
133			डांगुल्ला	2.200	1.200	0.000	3.400
134			झोलपुरा	2.000	1.200	0.000	3.200
			योग : शेखपुरा	106.900	65.000	15.000	186.900
			योग : तुकईथड़	344.900	223.000	103.600	671.500
	हैदरपुर	हैदरपुर					
135			डालमहू	19.500	6.800	0.200	26.500
136			घाघरला	40.900	21.000	2.000	63.900
137			हैदरपुर	74.600	21.200	3.000	98.800
138			हिवरा	55.900	24.600	1.000	81.500
			योग : हैदरपुर	190.900	73.600	6.200	270.700
		डाभियाखेड़ा					
139			बडीखेड़ा	87.700	23.600	5.000	116.300
140			डाभियाखेड़ा	88.800	32.500	9.000	130.300
141			पांचड़मली	21.100	4.200	0.600	25.900
			योग : डाभियाखेड़ा	197.600	60.300	14.600	272.500
		नावरा-ए					
142			नावरा	86.700	27.900	10.000	124.600
143			रहमानपुरा	28.300	17.400	3.300	49.000
144			सिंधखेड़ा (नावरा)	13.800	4.900	3.000	21.700
			योग : नावरा-ए	128.800	50.200	16.300	195.300
		नावरा-बी					
145			अमुल्ला	10.000	0.000	0.900	10.900
146			दुधिया	43.600	28.400	5.000	77.000
147			दर्यापुर (नावरा)	10.900	7.300	2.000	20.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
148			गोराडिया	70.700	35.600	0.300	106.600
149			गौलखेड़ा	24.400	11.600	0.700	36.700
150			केरपानी	41.000	19.600	2.000	62.600
151			मचगांव	8.300	4.300	1.400	14.000
152			नयाखेड़ा	23.600	10.800	0.600	35.000
153			रत्नापुर	21.200	8.900	0.400	30.500
			योग : नावरा-बी	253.700	126.500	13.300	393.500
			नेपानगर-ए				
154			अंधारबाडी	78.600	30.800	2.200	111.600
155			भातखेड़ा (सीवल)	48.800	28.200	0.400	77.400
156			बीड़ (नेपा)	6.000	0.100	0.000	6.100
157			सातपायरी	42.400	28.700	1.000	72.100
			योग : नेपानगर-ए	175.800	87.800	3.600	267.200
			सीवल				
158			बदनापुर	53.700	21.300	1.000	76.000
159			बाकड़ी	3.800	1.000	0.000	4.800
160			सीवल	83.700	42.500	2.000	128.200
			योग : सीवल	141.200	64.800	3.000	209.000
			पलासुर				
161			पलासुर	114.900	23.900	2.000	140.800
162			साईखेड़ा (सीवल)	116.900	22.900	2.000	141.800
			योग : पलासुर	231.800	46.800	4.000	282.600
			नेपानगर-बी				
163			बोरसल (चांदनी)	24.400	6.400	2.000	32.800
164			चांदनी	5.000	2.000	1.000	8.000
165			डवाली	19.900	4.500	2.600	27.000
166			नावथा	26.900	17.400	10.100	54.400
167			रतागढ़	5.300	3.400	2.000	10.700
			योग : नेपानगर-बी	81.500	33.700	17.700	132.900
			योग : हैदरपुर	1401.300	543.700	78.700	2023.700
			पंधाना				
			आरुद				
168			आरुद	43.400	7.700	0.000	51.100
169			अंजनगांव	8.000	1.800	0.000	9.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
170			धनोरा	8.200	1.000	0.000	9.200
171			हीरापुर	7.600	2.500	0.000	10.100
172			पंधाना	2.000	0.400	0.000	2.400
173			बाबली	3.200	0.000	0.000	3.200
174			गोराडीया	1.400	0.000	0.000	1.400
			योग : आरुद	73.800	13.400	0.000	87.200
			कुमठी				
175			बलरामपुर	0.800	0.000	0.000	0.800
176			कुमठी	0.900	0.000	0.000	0.900
177			पचम्बा	2.400	0.000	0.000	2.400
178			पाबईकला	3.700	1.700	0.000	5.400
179			रूस्तमपुर	0.800	0.000	0.000	0.800
180			शाहपुरा	1.800	0.000	0.000	1.800
			योग : कुमठी	10.400	1.700	0.000	12.100
			बोरगांव बुजुर्ग				
181			बोरगांव बुजुर्ग	2.400	2.400	0.000	4.800
182			हेमगीर	13.600	14.800	0.600	29.000
183			इस्लामपुर	0.800	0.800	0.000	1.600
184			खिराला	1.600	1.600	0.000	3.200
185			पिपरहट्टी	22.500	17.700	1.000	41.200
186			राजोरा	4.000	1.600	0.000	5.600
			योग : बोरगांव बुजुर्ग	44.900	38.900	1.600	85.400
			योग : पंधाना	129.100	54.000	1.600	184.700
	पुनासा	पुनासा					
187			अटूटखास	9.400	1.600	1.000	12.000
188			खेड़ीबुजुर्ग	7.800	0.800	0.000	8.600
189			मुन्दी	0.600	0.000	0.200	0.800
190			खुटलाकला	4.100	1.100	0.000	5.200
191			अमोदा	2.800	0.800	0.000	3.600
			योग : पुनासा	24.700	4.300	1.200	30.200
			सुलगांव				
192			हरवंशपुरा	0.800	0.800	0.800	2.400
193			टेमाचा	3.200	3.800	0.000	7.000
194			बखरगांव	3.600	3.000	0.000	6.600
			योग : सुलगांव	7.600	7.600	0.800	16.000
			योग : पुनासा	32.300	11.900	2.000	46.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	खण्डवा	खण्डवा					
195			भामगढ़	1.600	0.600	0.000	2.200
196			जसवाड़ी	4.200	3.300	0.000	7.500
197			खण्डवा	0.500	0.000	0.000	0.500
198			ललबाड़ा	2.200	2.000	0.000	4.200
199			शेखपुरा	3.000	2.600	0.000	5.600
200			जामलीकला	2.500	1.600	0.000	4.100
			योग : खण्डवा	14.000	10.100	0.000	24.100
		सिंगोट					
201			अम्बापाट	0.600	1.000	0.000	1.600
202			बामंदा (खंडवा)	0.600	0.300	0.000	0.900
203			भगवानपुरा	0.600	5.100	0.000	5.700
204			खिड़गांव	3.800	2.500	0.000	6.300
205			लछौरा खुर्द	1.000	0.600	0.000	1.600
206			पिपल्याकला	0.700	0.800	0.000	1.500
207			सिंगोट	1.000	1.000	0.000	2.000
208			सेमल्या (हांडीया)	2.000	2.000	0.000	4.000
209			चिचखेड़ा	0.500	0.500	0.000	1.000
			योग : सिंगोट	10.800	13.800	0.000	24.600
		छैगांवमाखन					
210			बरूड	4.700	2.000	0.000	6.700
211			भोजाखेड़ी	0.800	0.000	0.000	0.800
212			डाभी	0.700	0.000	0.000	0.700
213			कोंडावद	2.200	0.200	0.000	2.400
214			निहालवाड़ी	1.500	0.000	0.000	1.500
215			सुल्याखेड़ी	2.000	0.000	0.000	2.000
			योग : छैगांवमाखन	11.900	2.200	0.000	14.100
			योग : खण्डवा	36.700	26.100	0.000	62.800
	छनेरा	छनेरा					
216			बोरीसराय	2.100	4.700	3.000	9.800
217			मांडला	1.000	0.900	0.900	2.800
218			उन्डेल	1.600	1.000	0.200	2.800
219			दगडखेड़ी	0.400	0.200	0.000	0.600
220			बोधियाखुर्द	1.000	1.000	0.000	2.000
221			पाडल्या	1.000	1.000	0.000	2.000
222			पटाजन	0.400	0.000	0.000	0.400
223			खोरदा	1.000	1.000	0.000	2.000
			योग : छनेरा	8.500	9.800	4.100	22.400
			कुल योग :	3807.700	1809.800	429.400	6046.900

डी. एन. शर्मा,
गन्ना, आयुक्त.